नाबार्ड
न्यूजलेटर
खण्ड - 20 मार्च 2010 संख्या - 12

नाबार्ड - नई ऊँचाइयाँ

नाबार्ड के अध्यक्ष श्री उमेश चंद्र सरंगी ने प्रधान कार्यालय में हुई प्रैस कॉन्फ्रैंस में वर्ष के दौरान बैंक की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने नाबार्ड द्वारा विकास और विनियमन के लिए की गई पहल के पीछे निहित सिद्धांतों पर प्रकाश डाला जिनके कारण भारत के किसानों और ग्रामीण आबादी तक पहुँचने में ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं और फील्ड स्तर पर काम करने वाले सहयोगियों ने अपने कार्यनिष्पादन में बेहतरी लाने में सफलता पाई.

2009-10 के दौरान नाबार्ड के महत्वपूर्ण कार्य

पिछले चार वर्षों में नाबार्ड की *कार्यशील निधि* दुगनी हो गई और 31 मार्च 2010 को `1,36,000 करोड़ के स्तर को पार कर गई. 31 मार्च 2010 को पहली बार नाबार्ड का *बकाया ऋण* `1,20,500 करोड़ को पार कर गया. 2009-10 के दौरान नाबार्ड द्वारा दी गई कुल वित्तीय सहायता ` 57,069 करोड़ हो गयी जो अब तक की अधिकतम राशि है.

सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उत्पादन ऋण / फसल ऋण 2009-10 के दौरान `24,073 करोड़ हो गया जब कि 2008-09 में यह राशि `16,896 करोड़ थी.

कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों, गैर-कृषि क्षेत्र गतिविधियों और सेवा क्षेत्र में पूँजी निर्माण के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को 2009-10 में `12,009 करोड़ निवेश ऋण दिया गाया जब कि 2008-09 में यह राशि `10,535 करोड़ थी.

नाबार्ड ने भारत सरकार की ओर से एडीडब्ल्युडीआरएस, 2008 के तहत सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को `25,485 करोड़ जारी किए.

बैंकों ने 2009-10 के दौरान `34,982 करोड़ की स्वीकृत ऋण सीमा सहित साठ लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए. केसीसी की संचयी संख्या अब तक 9 करोड़ हो गई है.

राज्य सरकारों को आरआईडीएफ के अंतर्गत मंजूरी की राशि वर्ष के दौरान `1,00,000 करोड़ का स्तर पार कर गई. राज्य सरकारों को संवितरित आरआईडीएफ ऋण की राशि 2009-10 में `12,388 करोड़ रही, जबकि 2008-09 में यह राशि `10,459 करोड़ थी. पिछले चार वर्षों में *भारत निर्माण* के अंतर्गत ग्रामीण सड़क घटक के लिए आरआईडीएफ के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को कुल `18,500 करोड़ का ऋण मंजूर और संवितरित किया गया.

विकास सहयोग

31 मार्च 2010 को *वाटरशेड विकास* परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और वह `318 करोड़ हो गई जब कि पिछले वर्ष की इसी तारीख को यह राशि `166 करोड़ थी.

ट्राइबल विकास के अंतर्गत ट्राइबल विकास निधि से 191 परियोजनाएँ मंजूर की गई जिनमें 1,56,330 परिवारों को शामिल किया गया और 31 मार्च 2010 तक `107 करोड़ की राशि संवितरित की गई. कृषि नवोन्मेष और प्रोत्साहन निधि से 17 परियोजनाओं को 2009-10 के दौरान `1.56 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई जबकि किसानों की तकनीकी अंतरण निधि से 155 विविध नवोन्मेषी प्रस्तावों को लगभग `5 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई.

2009-10 के दौरान वित्तीय एजेन्सियों द्वारा नाबार्ड की सहायता से 16,590 किसान क्लब बनाए गए.

स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम

नाबार्ड के प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च 2010 को बैंक ऋण से जोड़े गए समूहों की संख्या 47 लाख हो गई जिससे लगभग 57 मिलियन ग्रामीण परिवारों को फायदा हुआ है. सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि(एमएफडीइएफ) के तहत `200 करोड़ की इस निधि का पूरा उपयोग किया गया जिसमें विभिन्न पात्र प्रयोजनों के लिए गैर सरकारी संगठनों के प्रति प्रतिबद्धता की राशि शामिल है. वर्ष के दौरान से संवितरण की राशि `81करोड़ थी.

2010-11 की केंद्रीय बजट घोषणा में एमएफडीइएफ के तहत इसकी समूह निधि को बढ़ाकर `400 करोड़ कर दिया गया ताकि देश में सूक्ष्म वित्त सहयोग की गुणवत्ता और सघनता में वृद्धि हो सके.

स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम

53,000 स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और लिंकेज के लिए 306 गैर सरकारी संगठनों को 2009-10 में `26 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की गई जिसके साथ ही संचयी रूप से 3,45,000 स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन के लिए मंजूरी की राशि `90 करोड़ हो गई. परिक्रामी निधि सहायता सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को चयनात्मक आधार पर दी जाती है ताकि वे ऐसे गरीबों को आगे उधार दे सके जिन तक अभी नहीं पहुँचा गया है. इस प्रकार की सहायता का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म वित्त के विविध मॉडलों के साथ प्रयोग करना है ताकि ऋण देने की नवोन्मेषी वैकल्पिक प्रणालियों का पता चल सके और दीर्घकालिकता और प्रणालियों के अनुकरण के बारे में उपयुक्त जानकारी भी मिल सके. 2009-10 में 14 एजेंसियों को `23 करोड़ की परिक्रामी निधि सहायता मंजूर की गई. रेपको फाउंडेशन को सूक्ष्म वित्त गतिविधियों के लिए रेपको बैंक द्वारा दी गई सहायता के समक्ष `30 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता मंजूर की गई.

संसाधन रहित क्षेत्रों में कार्य - प्रियदर्शिनी परियोजना

उत्तर प्रदेश और बिहार के चुने हुए जिलों में 'मध्य गंगा समतल क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण और आजीविका के लिए' प्रियदर्शिनी नामक कार्यक्रम शुरु किया गया है. आठ साल तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए आईएफएडी निधिगत सहायता दे रहा है और भारत

सरकार भी आंशिक वित्तीय सहायता दे रही है. इस कार्यक्रम में 7,200 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर दीर्घकालिक और उन्नत आजीविका के लिए सहायता देकर 1,08,000 गरीब महिलाओं और किशोर वय की लडकियों का समग्रतामूलक सशक्तीकरण किया जाएगा.

संस्थागत विकास सहायता

वर्ष के दौरान 49,764 पैक्स के पुन: पूँजीकरण के लिए `7,972 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की गई जब कि 2008-09 में 33,406 पैक्स के लिए `4,874 करोड़ की सहायता जारी की गई थी. इस प्रकार कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कुल पैक्स में से 61% (2008-09 तक 38%) पैक्स का पूर्ण पूँजीकरण हो चुका है. नाबार्ड द्वारा किए गए निरीक्षणों के निष्कर्षों और उनके अनुपालन के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 11(1) के अनुपालन न करने वाले सहकारी बैंकों की संख्या 113 से घटकर 90 हो गई. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 98 राज्य सहकारी बैंकों और 97 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी किए जिससे ऐसे बैंकों की संचयी संख्या क्रमश: 22 और 173 हो गई.

वित्तीय समावेशन - महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत `41 करोड़ की 47 परियोजनाएँ मंजूर की गईं. पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और उपद्रवग्रस्त जिलों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारिताएँ को प्राथमिकता दी गई. 30 जिलों को शामिल करते हुए आईसीटी समाधान (स्मार्ट कार्ड, मोबाईल प्रौद्योगिकी आदि) से युक्त वित्तीय समावेशन हेतु अनुसंधान और विकास परियोजना शुरू की गई है.

नैबकॉन्स

वर्ष के दौरान नैबकॉन्स ने अपना व्यवसाय बढ़ाकर `20.17 करोड़ कर लिया. इसने इस वर्ष केनिया में भी अपना कार्यालय खोला.

केन्द्रीय बजट की मुख्य विशेषताएँ

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुन:पूँजीकरण

सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त पूँजी प्रदान करे ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हुई उधार-वृद्धि के लिए उनके पास पर्याप्त पूँजी आधार दे सके.

कृषि-विकास

सरकार निम्न को शामिल करते हुए एक चार आयामी रणनीति का पालन करेगी.

कृषि उत्पादन

- देश के पूर्वी क्षेत्र में शामिल बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हरित क्रान्ति को विस्तार प्रदान करने के लिए `400 करोड़ प्रदान किए गए.

- 2010-11 के दौरान, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60000 ''दालों और तेल के बीज गाँवों'' को `300 करोड़ दिए गए तथा शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वाटरशेड प्रबंधन और मिट्टी के स्वास्थ के लिए और जल संचयन के लिए एकीकृत समर्थन प्रदान किए गए.

- संरक्षण खेती जिसमें मिट्टी के स्वास्थ, जल संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए समवर्ती ध्यान दिया जाना शामिल है, के माध्यम से हरित क्रान्ति के क्षेत्रों में किए गए लाभ को बनाए रखने के लिए `200 करोड़ प्रदान किए गए.

उत्पादन की बर्बादी में कमी

- सरकार को खुदरा व्यापार को प्रारंभ करने के मुद्दे का समाधान करना है. इससे फार्म गेट, थोक और खुदरा की प्रक्रिया के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी.

- निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए चल रही योजना के माध्यम से भंडारण की कमी को पूरा किया गया - एफसीआई 7 वर्षों की गारंटी अवधि के लिए निजी पार्टियों से गोदाम किराए पर लेगा.

किसानों को ऋण समर्थन

- पिछले कुछ वर्षों में बैंक, कृषि ऋण प्रवाह हेतु निर्धारित लक्ष्यों को लगातार पूरा कर रहे हैं. वर्ष 2010-11 के लिए `375000 करोड़ के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं.

- कुछ राज्यों में हाल के सूखे एवं देश के कुछ अन्य भागों में गंभीर बाढ़ को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना के तहत किसानों द्वारा ऋण रकम की चुकौती अवधि को 31 दिसम्बर 2009 से 30 जून 2010 तक के लिए छह महीने हेतु बढ़ा दिया गया है.

- जो किसान अपने अल्पावधि फसल ऋणों को अनुसूची के अनुसार चुका देते हैं उनके ब्याज की आर्थिक सहायता को वर्ष 2010-11 के लिए एक प्रतिशत और बढ़ाकर 2% कर दिया गया है.

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन

- पहले से ही स्थापित की जा चुकी 10 मेगाफूड पार्क परियोजनाओं के अलावा सरकार के पाँच ऐसे पार्कों की स्थापना का निर्णय लिया है.
- कृषि और सहबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद और मीट के संरक्षण या भंडारण हेतु फार्म स्तरीय प्री-कूलिंग सहित कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड रूम सुविधा के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार उपलब्ध होंगे.

आधार संरचना

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल)

- आईआईएफसीएल के संवितरण की मार्च 2010 के अंत तक `9000 करोड़ और मार्च 2011 तक लगभग `20000 करोड़ तक पहुँचने की संभावना है.
- आईआईएफसीएल ने चालू वर्ष के दौरान `3000 करोड़ या बुनियादी परियोजनाओं हेतु बैंक ऋण को वित्तपोषित किया है और 2010-11 में इस रकम के दुगने से भी अधिक होने की संभावना है.
- पिछले बजट में घोषित टेक आउट वित्तपोषक योजना में प्रारंभ में आगामी तीन वर्षों में लगभग `25000 करोड़ के लिए वित्त प्रदान किए जाने की उम्मीद है.

समावेशी विकास

- सामाजिक क्षेत्र पर किया गया खर्च, 2010-11 में धीरे-धीरे बढ़कर `137674 करोड़ हो गया है, जो 2010-11 में कुल योजना परिव्यय का 37% है.

- योजना आबंटन का एक और 25% भाग ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु समर्पित किया गया है.

वित्तीय समावेशन

- मार्च 2012 तक, 2000 से अधिक की आबादी वाली बस्तियों को बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी.
- बीमा और अन्य सेवाएँ बिजनेस कोरसपौंडेन्स मॉडल का उपयोग कर उपलब्ध कराई जाएगी. इस व्यवस्था से 60000 बस्तियों को शामिल करने का प्रस्ताव है.
- वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि, प्रत्येक के लिए `100 करोड़ की वृद्धि की गई है जिसके लिए भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा योगदान किया जाएगा.

ग्रामीण विकास

- ग्रामीण विकास हेतु `66,100 करोड़ दिए गए.

- 2010-11 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए आबंटन `40100 करोड़ कर दिया गया है.
- भारत निर्माण के तहत, ग्रामीण आधार संरचना कार्यक्रमों हेतु `48000 करोड़ की रकम आबंटित की गई है.
- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत यूनिट लागत को बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों में `45000 तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रु.48500 कर दिया गया है. इस योजना हेतु आबंटन को बढ़ाकर `10000 करोड़ कर दिया गया है.
- बैकवर्ड रीजन ग्रांड फंड के लिए आबंटन को 26% बढ़ाकर 2009-10 में `5800 करोड़ के स्थान पर 2010-11 में `7300 करोड़ कर दिया गया है.
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखा-शमन के लिए `1200 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्र सहायता प्रदान की गई है.

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम

- उच्च स्तरीय कार्यदल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के अनुप्रवर्तन हेतु प्रधान मंत्री द्वारा लघु और सूक्ष्म उद्यमों पर उच्च स्तरीय परिषद गठित की गई.
- वर्ष 2010-11 के लिए इस क्षेत्र हेतु आबंटन को `1,794 करोड़ से बढ़ाकर `2,400 करोड़ कर दिया जाएगा.
- सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि के लिए कार्पस, 2010-11 में दुगुनी होकर `400 करोड़ हो गई.

कृषि और सहबद्ध क्षेत्र

- खाद्यान्न और चीनी के लिए 'मंडियो' या गोदामों में मशीनीकृत व्यवस्था और पैलेट रैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए 5% के रियायती आयात शुल्क सहित परियोजना आयात स्टेटस प्रदान करना एवं ऐसे उपस्कार के संस्थापन और कमिशनिंग के लिए सेवा कर से पूरी छूट प्रदान करना.

- कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों के उत्पाद के संरक्षण या भंडारण हेतु फार्म प्री-कूलर्स समेत कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड रूम, तथा (ii) ऐसे उत्पाद हेतु प्रसंस्करण यूनिटों की प्रारंभिक स्थापना और विस्तार के लिए सेवा कर से पूरी छूट सहित 5% के रियायती सीमा शुल्क पर परियोजना आयात स्टेटस प्रदान करना.
- प्रशीतित वैन या ट्रकों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रशीतन इकाइयों के लिए सीमा शुल्क से पूरी छूट प्रदान करना
- भारत में निर्मित न की जानेवाली विशिष्ट कृषि मशीनरी के लिए 5% का रियायती सीमा शुल्क प्रदान करना.

- कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों के संरक्षण, भंडारण और प्रसंस्करण हेतु विशिष्ट उपस्करों के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट और उनके उत्पाद के भंडारण और वेयरहाउसिंग के लिए सेवा कर से छूट प्रदान करना; और
- कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों के लिए उत्पाद शुल्क से पूरी छूट प्रदान करना.
- वृक्षारोपण क्षेत्र में उपयोग के लिए विशिष्ट मशीनरी के लिए रियायती आयात शुल्क को सीवीडी छूट सहित 31 मार्च 2011 तक विस्तारित कर दिया गया है.
- कृषि बीजों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए सेवा कर से छूट प्रदान करना
- अनाजों और दालों के सड़क मार्ग से परिवहन को सेवा कर से छूट प्रदान करना

छोटे पैमाने के निर्माताओं के लिए नकद प्रवाह की स्थिति को सुगम बनाने हेतु उन्हें, कैपिटल गुड्स पर, उनकी प्राप्ति के वर्ष में एक ही किस्त में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए पूरा क्रेडिट लेने की अनुमति दी जाएगी. दूसरे, उन्हें, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मासिक आधार के स्थान पर तिमाही आधार पर अदा करने की स्वीकृति दी जाएगी.

'सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय' की शेष बचे झाड़ू-बरदारों और उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु 'हस्त झाड़ू-बरदारों के पुनर्वास हेतु नई स्वरोजगार योजना' (एसआरएमएस)

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने प्राथमिकता के आधार पर, शेष बचे झाड़ू-बरदारों और उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु 'हस्त झाड़ू बरदारों' के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) अनुमोदित की है. यह योजना ऐसे शेष बचे झाड़ू-बरदारों और उनके आश्रितों के लिए है जो अभी तक 'झाड़ू-बरदारों की मुक्ति और पुनर्वास हेतु पिछली राष्ट्रीय योजना' (एनएसएलआरएस), में शामिल नहीं किए जा सके हैं. यह अनुमोदित योजना विकल्पी व्यवसायों में हस्त झाड़ू-बरदारों के पुनर्वास हेतु पूंजी सब्सिडी, रियायती ऋण और क्षमता निर्माण हेतु प्रावधान करती है. एसएलआरएस के स्थान पर एसआरएमएस नामक इस नई योजना को लागू किया जाना है.

2. भारत सरकार, सामजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने यह भी इंगित किया है कि यह योजना, इसके कार्यान्वयन में किसी भी बाधा को पार करते हुए एक संकल्प के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकता पर लागू की जाए. भारत सरकार के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है कि अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस योजना का वित्तपोषण करने और इसके कार्यान्वयन में सहायता करने की अनुमति दी जाए.

3. इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रधान / क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस योजना के समुचित अनुप्रवर्तन पर निर्भर करेगा. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस योजना के कार्यान्वयन के अनुप्रवर्तन हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएं करें.

4. इस योजना के अंतर्गत कार्य-निष्पादन की समीक्षा, अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न फोरमों पर नाबार्ड में आयोजित एसएलबीसी और एसएलसीआरसी बैठकों में भी की जाए.

(संदर्भ सं.राबैं.आईडीडी.आरआरसीबीडी/ 2337 / 337 / 2009-10 दिनांक : 24 मार्च 2010 परिपत्र सं.59/ .आईडीडी - 03/ 2010)

सम्पादकीय बोर्ड- एस के मित्रा,अमरेश कुमार,पी एल बेहरा, डॉ. प्रकाश बक्शी और वी रामकृष्ण राव
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बान्द्रा-कुर्ला काम्पलैक्स, मुंबई - 400 051 के लिए ***बी.जयरामन*** *द्वारा सम्पादित और प्रकाशित.*